न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

अनवान :– विविध प्रकरण संख्या 142/2020

1. हरप्रीत सिंह पुत्र श्री जसवंत सिंह, जाति कम्बोज सिख, आयु 22 वर्ष, निवासी 16 एम०एल० ख्यालीवाला, तह० व जिला श्रीगंगानगर ।
2. श्रीमती गुरमीत कौर पत्नी स० जसवंत सिंह, जाति कम्बोज सिख, आयु 54 वर्ष, निवासी 16 एम0एल0 ख्यालीवाला, तह० व जिला श्रीगंगानगर ।

– – प्रार्थीगण

–:: बनाम ::–

1. दीपक गोयल पुत्र श्री भीम सैन गोयल, जाति अग्रवाल, निवासी मकान नम्बर 67, वृद्धांवन विहार, श्रीगंगानगर ।

– – अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत।

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री सुभाष मिढढा अधिवक्ता — प्रार्थीगण
2. श्री मोहन लाल माहर — अप्रार्थी संख्या–1

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 19.12.2024

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि उक्त शीर्षक का दावा श्रीमान न्यायालय में पेश किया जा चुका है, जिसके स्वीकार होने की पूर्ण आशा है। वाद पत्र में उल्लेखित तमाम तथ्य इस प्रार्थना पत्र का भाग समझा जावे तथा प्रार्थना पत्र के साथ पढ़े जावे ताकि वर्णित तथ्यों की पुनरावृति न हो। प्रार्थीगण के नाम से चक 16 एम0एल0, तह० श्रीगंगानगर के खाता संख्या 47 मुरब्बा नम्बर 29, 39 में कृषि भूमि स्थित है, जिसको प्रार्थीगण स्वयं काश्त करते आ रह है। चक हाजा के मुरब्बा नम्बर 31 व 32 में से नहर आ रही है, प्रार्थीगण का रकबा गंग कैनाल से सिंचित हो रहा है, परन्तु पानी की कमी होने के कारण उपरोक्त रकबा की सिंचाई पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है इसलिए प्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा रकबा को सिंचित करने के लिए ट्यूबवैल लगाया हुआ है, ताकि प्रार्थीगण अपने रकबा को अधिक मात्रा में सिंचित कर सके तथा कृषि भूमि के सुधार व विकास पर अच्छी पैदावार प्राप्त कर सके। पानी की कमी को देखते हुए प्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा वर्ष 1974 से पूर्व मुरब्बा नम्बर 31 में नहर के पास काफी रूपया खर्च कर ट्यूबवैल स्थापित किया तथा इस ट्यूबवैल का पानी अपने रकबा (जो कि पूर्व में 35–36 था) तथा वर्तमान में 29–39 हो गया है। ट्यूबवैल का पानी अपने रकबा में ले जाने के लिए मु0न0 35–36 के बीच पड़ने वाले रकबा एवं मुरब्बा नम्बर 31 जो राजस्व विभाग मे 32 है, के किला नं० 22 ता 25 में से, मुरब्बा नम्बर 36 के किला नं0 1 ता 5 में से 10 फीट चौड़ाई में रकबा 10 किला

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

लम्बाई में 6500/– रूपये में मोमनराम वल्द पोखरराम से दिनांक 16–07–1974 को खरीद करके अपनी लागत से टयूबवैल के लिए पक्की नाली बनाई हुई है, जिस पर भी काफी रूपये खर्च किए हुए है। इकरारनामा की फोटोप्रति संलग्न है । इस प्रकार से उक्त टयूबवैल के लिए नाली बनाकर इसमें से टयूबवैल का पानी 1974 से प्रार्थीगण के पूर्वज मुरब्बा नम्बर 29–39 में लगाते है तथा उनके बाद उक्त भूमि जो प्रार्थीगण को प्राप्त हुई, प्रार्थीगण द्वारा भूमि सुधार का कार्य किया तथा उक्त निर्मित नाली बिना किसी रोक–टोक के शांतिपूर्वक तरीके से प्रार्थीगण उपयोग करते आ रहे है। अतः वे इसके मालिक व हकदार भी है तथा उक्त नाली का कब्जा वर्ष 1974 से प्रार्थीगण के पूर्वजों से अब तक प्रार्थीगण के पास चला आ रहा है तथा उक्त नाली का प्रयोग जो अपने रकबा को सिंचित करने के लिए करते आ रहे है। अब अप्रार्थीगण के मन में बेईमानी आ गई है तथा वह उक्त नाली को बंद करना चाहता है, उस द्वारा ऐसा करने पर आपसी में झगड़ा आदि हो सकता है तथा कोई अप्रिय घटना भी घटित हो सकती है, इसलिए प्रार्थीगण का उक्त प्रकरण प्रथम दृष्टया बनता है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है । ऐसी स्थिति में ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के प्रार्थीगण हकदार है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति कारित होगी व मौजूदा फसल भी बर्बाद हो जावेगी । अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जावे कि ताफैसला दावा अप्रार्थी, चक 16 एम0एल0 तह० व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 31 राजस्व रिकार्ड मु0नं0 32 के किला नं0 22 ता 25 में 10 फीट चौड़ी टयूबवैल के पानी की नाली को किसी प्रकार से बंद करने, रूकावट पैदा करने एवं अन्य किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न करने से बाज व ममनू रहें ।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसके तथ्यानुसार प्रार्थना पत्र की चरण संख्या–1 में अंकित तथ्यों में वादीगण द्वारा उक्त शीर्षक का दावा श्रीमान् न्यायालय में पेश किया जाना स्वीकार है परन्तु वाद पत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर वाद पत्र के स्वीकार होने की कोई संभावना नहीं है । वाद पत्र में उल्लेखित तमाम तथ्यों को प्रार्थना पत्र का भाग नहीं समझा जा सकता तथा ना ही वाद पत्र के तथ्यों के साथ पढ़ा जा सकता है। प्रार्थीगण की मुरब्बा नं. 29 व 39 में कृषि भूमि है, इस सम्बन्ध में प्रार्थीगण से पूर्ण साक्ष्य लिया जावे। इस चरण में यह तथ्य स्वीकार है कि मुरब्बा नं. 31 व 32 में गंगकैनाल आ रही है, शेष तथ्य असत्य एवं निराधार होने के कारण स्वीकार नहीं है। इस चरण में प्रार्थीगण द्वारा यह अंकित किया गया है कि प्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा रकबा सिंचित करने के लिये टयूबवैल लगाया हुआ है ताकि प्रार्थीगण अपने रकबा को अधिक मात्रा में सिंचित कर सके और कृषि भूमि के सुधार व विकास पर अच्छी पैदावार प्राप्त कर सके, पूर्णतः असत्य एवं निराधार होने के कारण स्वीकार नहीं है। यहां यह उल्लेख करना न्यायोचित होगा कि प्रार्थीगण द्वारा स्वयं की भूमि या अप्रार्थी की भूमि में टयूबवैल नहीं लगाया हुआ है बल्कि प्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा नहर की भूमि एवं नहर के साथ हनुमानगढ़ रोड़ से चक पठानवाला को जाने वाली सड़क की भूमि पर अतिक्रमण करके उसमें टयूबवैल लगाया हुआ है और अतिक्रमण करने व टयूबवैल लगाने के पश्चात उस अतिक्रमण की गई भूमि में टयूबवैल हेतु अनाधिकृत विद्युत सम्बन्ध प्राप्त किया हुआ है। प्रार्थीगण जिस टयूबवैल से अपनी भूमि को सिंचाई करने के लिये पानी ले जाने की बात करते हैं वह टयूबवैल पूर्णतः अवैध है। इस चरण में कृषि भूमि के विकास, सुधार व अधिक मात्रा में सिंचित कर सके, के जो तथ्य अंकित किये हैं वे भी पूर्णतः असत्य एवं निराधार है। प्रार्थीगण को स्वयं की भूमि में विकास, सुधार व अधिक मात्रा में सिंचित करने का ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

अनाधिकृत भूमि में अनाधिकृत ट्यूववैल लगाकर अपनी भूमि का सुधार, विकास व अधिक सिंचित कर सके। प्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा वर्ष 1974 से पूर्व मुरब्बा नं. 31 में नहर के पास काफी खर्चा करके ट्यूबवैल स्थापित किया था और ट्यूबवैल का पानी अपने रकबा वर्तमान में मुरब्बा नं. 29 व 39 में ले जाने के लिये मुरब्बा नं. 31 व 32 के बीच पड़ने वाले रकवा के किला नं. 22 ता 25 व मुरब्बा नं. 36 के किला नं. 1 ता 5 में से 10 किला लम्बाई में 6500/– रूपये मोमनराम से 10 फुट चौड़ाई का रकबा दिनांक 16.07.1974 को खरीदकर अपनी लागत से टयूबवैल के लिये पक्की नाली बनाई हुई है, पूणतः असत्य एवं निराधार होने के कारण स्वीकार नहीं है। इस सम्बन्ध में निवेदन है कि इस चरण में मुरब्बा नं. 31 के किला नं. 22 ता 25 में 10 फुट. चौड़ी कोई नाली नहीं बनी हुई है। इसी प्रकार प्रार्थीगण के कथनानुसार मुरब्बा नं. 36 के किला नं. 1 ता 5 में 10 फुट चौड़ाई में कोई खाली नहीं बनी हुई है। यहां यह उल्लेख करना भी न्यायोचित होगा कि प्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा यह रकबा मुरब्बा नं. 32 व 36 में किला नं. 22 ता 25 व किला नं. 1 ता 5 में 10 फुट चौड़ा, 10 किला लम्बाई में मोमनराम से क्रय नहीं किया गया था। यहां यह उल्लेख करना भी न्यायोचित होगा कि विधि के प्रावधानों के अनुसार ईकरारनामा के आधार पर प्रार्थीगण के पूर्वजों व प्रार्थीगण को कोई स्वामित्व प्राप्त नहीं होता। विधि के प्रावधानों में ईकरारनामा दिनांकित 16.07.1974 निष्प्रभावी हो चुका है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या–4 के तथ्य असत्य एवं निराधार होने के कारण स्वीकार नहीं है। प्रार्थीगण को अप्रार्थी की भूमि में से अपनी भूमि में सिंचाई करने के लिये नाली बनाकर ले जाने के लिये कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थीगण के स्वयं के कथनानुसार प्रार्थीगण के वाद से यह तथ्य भली भांति प्रतीत होते हैं कि प्रार्थीगण ने ईकरारनामा के आधार पर ऐसा अधिकार प्राप्त कर लिया है कि प्रार्थीगण ताउम्र अप्रार्थी के खेत में से पानी ले जाने की सुविधा चालु रखेंगे। इस चरण में प्रार्थीगण द्वारा नाली का बिना रोकटोक शांतिपूर्वक तरीके से उपयोग करने के तथ्य अंकित किये हैं, तथा अपने आपको मालिक व हकदार बताया है तथा उनका कब्जा मुखालफाना होना अंकित किया है, असत्य एवं निराधार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कब्जा मुखालफाना होने से कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते। प्रार्थीगण द्वारा अवैध रूप से अप्रार्थी की कृषि भूमि में से सिंचाई हेतु नाली बनाकर सिंचाई पानी ले जाने के कारण प्रार्थीगण को नाली की भूमि पर कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं हो गये हैं। प्रार्थीगण के पास नाली की भूमि के सम्बन्ध में कोई स्वामित्व का प्रमाण पत्र नहीं है जबकि इसके विपरीत अप्रार्थी के पक्ष में पंजीकृत दस्तावेज तबादलानामा दिनांकित 23.01.2019 निष्पादित किया हुआ है जिसके अनुसार चक 16 एमएल के पटवार हल्का 11 एलएनपी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 58/53 के मुरब्बा नं. 31 के किला नं. 22/2 का 0.074 हैक्टेयर, किला नं. 23/2 का 0.09 हैक्टेयर, किला नं. 24/2 का 0.091 हैक्टेयर, किला नं. 25/2 का 0.134 हैक्टेयर रकबा यथा कुल 0.389 हैक्टेयर रकबा नहरी यानी 1 बीघा 11 बिस्वा भूमि का स्वामी है। इस प्रकार विधिक रूप से उक्त वर्णित भूमि का अप्रार्थी स्वामी है जिसमें से प्रार्थीगण को अनाधिकृत भूमि पर टयूबवैल बनाकर अपनी भूमि में सिंचाई पानी ले जाने के लिये अप्रार्थी की भूमि में नाली बनाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इस चरण के तथ्यों में प्रार्थीगण द्वारा धारा 76 व 78 के अन्तर्गत भूमि सुधार के लिये उक्त कार्य नाली सुधार करवाने के लिये प्रार्थीगण पूर्ण रूप से अधिकारी होने का उल्लेख किया है जो पूर्णतः असत्य एवं निराधार है। धारा 76 के प्रावधानों के अनुसार यदि किसी कृषि भूमि को विक्रय किया जाता है तो उसके साथ कृषि भूमि पर किये गये सुधारों को भी विक्रय किया जाता है। धारा 78 कृषि भूमि में किये गये सुधारों से सम्बन्धित है। यह दोनों धारायें अप्रार्थी पर लागु नहीं होती है। प्रार्थीगण स्वयं की भूमि में यदि किसी प्रकार के सुधार

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

किये गये हों तो उन सुधारों को किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थीगण को स्वयं की कृषि भूमि में किये गये सुधारों की रक्षा करने का अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी की भूमि में से यदि किसी प्रकार की नाली बनाकर अपने खेत में पानी ले जाने की व्यवस्था की गई है तो वह कृषि सुधारों के अन्तर्गत नही आती। यहां यह उल्लेख करना भी न्यायोचित होगा कि प्रार्थीगण की भूमि के साथ –साथ 10 फुट अस्थाई रास्ता बना हुआ है और उस अस्थाई रास्ते के नीचे से पाईप डालकर प्रार्थीगण अपनी भूमि के लिये सिंचाई पानी ले जाने की सुविधा माननीय न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं लेकिन यहां यह उल्लेख करना भी न्यायोचित होगा कि प्रार्थीगण द्वारा स्थापित किया गया टयूबवैल प्रार्थीगण की स्वयं की भूमि में होना चाहिये। इस प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा नहर की भूमि में अतिक्रमण करके अवैध टयूबवैल स्थापित किया हुआ है और इस अनाधिकृत रूप से कब्जा की हुई नहर की भूमि पर स्थापित टयूबवैल से अपनी भूमि में पानी ले जाने के लिये अस्थाई रास्ते में भी जमीन के नीचे पाईप डालकर पानी ले जाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थीगण को सर्वप्रथम नहर के ऊपर स्वयं की भूमि क्रय करनी चाहिये तत्पश्चात उसमें विधिवत रूप से टयूबवैल स्थापित करना चाहिये तत्पश्चात माननीय न्यायालय की आज्ञा से अस्थाई रास्ते के नीचे से पाईप डालकर अपने खेत में सिंचाई पानी ले जाना चाहिये लेकिन प्रार्थीगण द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है।यह कि प्रार्थना की चरण संख्या–5 के तथ्य असत्य एवं निराधार होने के कारण स्वीकार नहीं है । अप्रार्थी को अपनी भूमि में से जा रही नाली को बन्द करने का विधिक अधिकार प्राप्त है और अपनी भूमि की प्रत्येक प्रकार की रक्षा करने का अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण स्वयं नाली की आड़ में अप्रार्थी को तंग परेशान कर रहे हैं। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण तभी बनता है यदि उनको नाली के सम्बन्ध में कोई विधिक अधिकार प्राप्त हो। इस प्रकरण में नाली के सम्बन्ध में प्रार्थीगण को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थीगण स्वयं के कथनानुसार नाली अप्रार्थी की भूमि में से जा रही है तथा प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया कोई प्रकरण नहीं बनता है। सुविधा के संतुलन के सम्बन्ध में निवेदन है कि सुविधा का संतुलन भी प्राथीगण के पक्ष में नहीं है । यदि इसी प्रकार नाली अप्रार्थी की भूमि में से चलती रही तो उससे अप्रार्थी को असुविधा व हानि होगी। अप्रार्थी अपनी भूमि में स्थापित की जा रही औधोगिक इकाई को स्थापित नहीं कर पायेगा जिससे अप्रार्थी को अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा। जबकि इसके विपरीत प्रार्थीगण का समस्त ट्यूबवैल नाली अवैध रूप से बनी हुई है और अवैध कृत्यों के लिये किसी प्रकार की कोई सहायता किसी भी न्यायालय से प्राप्त करने के प्रार्थीगण अधिकारी नहीं है। अपूरणीय क्षति के सम्बन्ध में निवेदन है कि प्रार्थीगण को किसी प्रकार की कोई अपूरणीय क्षति नहीं हो रही है। प्रार्थीगण को अपनी भूमि में सिंचाई पानी ले जाने के लिये अवैध कृत्यों का सहारा नहीं लेना चाहिये। नहर की भूमि पर अतिक्रमण करके अवैध रूप से टयूबवैल स्थापित करके अप्रार्थी की भूमि में अवैध रूप से नाली ले जाकर अपनी भूमि में सिंचाई करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि अप्रार्थी की औधोगिक इकाई स्थापित नहीं होगी तो उससे अप्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होगी वर्तमान में युद्धस्तर पर अप्रार्थी की ओधोगिक इकाई का निर्माण हो रहा है और इसमें केवल मात्र प्रार्थीगण की अवैध नाली ही बाधा बनी हुई है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष स्वीकार नहीं है। प्रार्थीगण की अप्रार्थी के मुरब्बा नं. 31 के किला नं. 22 ता 25 में किसी प्रकार की कोई 10फुट चौड़ी नाली नहीं है और इस नाली के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण अप्रार्थी के विरूद्ध प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावे तथा

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी की भूमि मुरब्बा नं. 31 के किला नं. 22 में अतिक्रमण कर कमरा, टयूबवैल, टंकी व कुंआ खोदकर जो अतिक्रमण किया है उसे खाली करवाया जावे व किला नं. 23, 24, 25 में अवैध रूप से जा रही खाली को हटाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वकील प्रार्थी की मुख्य बहस यह रही कि प्रार्थीगण के नाम से चक 16 एम0एल0, तह० श्रीगंगानगर के खाता संख्या 47 मुरब्बा नम्बर 29, 39 में कृषि भूमि स्थित है, जिसको प्रार्थीगण स्वयं काश्त करते आ रह है। चक हाजा के मुरब्बा नम्बर 31 व 32 में से नहर आ रही है, प्रार्थीगण का रकबा गंग कैनाल से सिंचित हो रहा है, परन्तु पानी की कमी होने के कारण उपरोक्त रकबा की सिंचाई पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है इसलिए प्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा रकबा को सिंचित करने के लिए टूयबवैल लगाया हुआ है, ताकि प्रार्थीगण अपने रकबा को अधिक मात्रा में सिंचित कर सके। प्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा वर्ष 1974 से पूर्व मुरब्बा नम्बर 31 में नहर के पास काफी रूपया खर्च कर टूयबवैल स्थापित किया तथा इस टयूबवैल का पानी अपने रकबा (जो कि पूर्व में 35–36 था) तथा वर्तमान में 29–39 हो गया है। टयूबवैल का पानी अपने रकबा में ले जाने के लिए मु0नं0 35–36 के बीच पड़ने वाले रकबा एवं मुरब्बा नम्बर 31 जो राजस्व विभाग में 32 है, के किला नं० 22 ता 25 में से, मुरब्बा नम्बर 36 के किला नं0 1 ता 5 में से 10 फीट चौड़ाई में रकबा 10 किला लम्बाई में 6500/– रूपये में मोमनराम वल्द पोखरराम से दिनांक 16–07–1974 को खरीद करके अपनी लागत से टयूबवैल के लिए पक्की नाली बनाई हुई है, जिस पर भी काफी रूपये खर्च किए हुए है। निर्मित नाली बिना किसी रोक–टोक के शांतिपूर्वक तरीके से प्रार्थीगण उपयोग करते आ रहे है। अतः वे इसके मालिक व हकदार भी है तथा उक्त नाली का कब्जा वर्ष 1974 से प्रार्थीगण के पूर्वजों से अब तक प्रार्थीगण के पास चला आ रहा है तथा उक्त नाली का प्रयोग जो अपने रकबा को सिंचित करने के लिए करते आ रहे है। अब अप्रार्थीगण के मन में बेईमानी आ गई है तथा वह उक्त नाली को बंद करना चाहता है, अप्रार्थी द्वारा ऐसा करने पर आपसी में झगड़ा आदि हो सकता है तथा कोई अप्रिय घटना भी घटित हो सकती है, इसलिए प्रार्थीगण का उक्त प्रकरण प्रथम दृष्टया बनता है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति कारित होगी व मौजूदा फसल भी बर्बाद हो जावेगी। इसलिए प्रकरण में स्थगन मूल वाद तक कन्फर्म किया जावे। **वकील अप्रार्थी की जवाब बहस यह रही कि** प्रार्थीगण द्वारा स्वयं की भूमि या अप्रार्थी की भूमि में टयूबवैल नहीं लगाया हुआ है बल्कि प्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा नहर की भूमि एवं नहर के साथ हनुमानगढ़ रोड़ से चक पठानवाला को जाने वाली सड़क की भूमि पर अतिक्रमण करके उसमें ट्यूबवैल लगाया हुआ है और अतिक्रमण करने व टयूबवैल लगाने के पश्चात उस अतिक्रमण की गई भूमि में टयूबवैल हेतु अनाधिकृत विद्युत कनैक्शन प्राप्त किया हुआ है। प्रार्थीगण जिस टयूबवैल से अपनी भूमि को सिंचाई करने के लिये पानी ले जाने की बात करते हैं वह टयूबवैल पूर्णतः अवैध है। मुरब्बा नं. 31 के किला नं. 22 ता 25 में 10 फुट चौड़ी कोई नाली नहीं बनी हुई है। इसी प्रकार प्रार्थीगण के कथनानुसार मुरब्बा नं. 36 के किला नं. 1 ता 5 में 10 फुट चौड़ाई में कोई खाली नहीं बनी हुई है। ट्यूबेल नाली हेतु रकबा खरिद किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा आधे काश्ताकरों को प्रकरण में पक्षकार ही नहीं बनाया गया है। प्रार्थीगण द्वारा खसरा परिवर्तन के डॉक्यूमेंट भी प्रस्तुत नहीं किये गये है। प्रार्थीगण द्वारा इससे पहले स्थगन प्रार्थना पत्र में बहस नहीं की गई है जब बहस करने का समय आया तो ट्रांसफर ऐप्लीकेशन मूव कर दी गई। इकरारनामा बचन सिंह, गजन सिंह केता थे। वादी पोता है। प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार नहीं है। अतः प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

द्वारा प्रस्तुत 212 आर.टी.ए. का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। **वकील प्रार्थीगण की जवाब बहस यह रही कि** पूर्व में खसरे में जमीने थी, मुरबा बंदी होने के पश्चात् परिवर्तन होता गया। अप्रार्थी द्वारा न्यायालय द्वारा दिये गये अन्तरिम स्थगन की अवमानना की जिसके पश्चात् प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध कन्टेप्ट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी अतिक्रमी नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 आर. टी.ए. स्वीकार किया जाकर स्थगन मूल वाद तक कन्फर्म किया जावे। बहस के समर्थन में वकील प्रार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टान्त– **2018-19 (Supp.) RRT 618, 2018-19 (Supp.) RRT 531, 2013 (1) RRT 515, RLW 2003 pg 176** प्रस्तुत किये गये।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत इकरारनामा की प्रति दिनांक 16.0.1974 का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत इकरारनामा के अवलोकन से स्पष्ट है कि टयूबेल के पानी को अपने खेत में ले जाने के लिए नाली हेतु प्रयुक्त की जा रही भूमि का का बैचान हुआ है। अप्रार्थी के पक्ष में पंजीकृत दस्तावेज तबादलानामा दिनांकित 23.01.2019 निष्पादित किया हुआ है तो यहां केता सावधान का नियम लागू होता है। यदि हस्तगत प्रकरण में स्थगन हटाया जाता है तो इससे वाद विवाद में बहुलता होगी व हस्तगत वाद के निर्णय में भी समय लगेगा। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है। न्यायिक दृष्टि से प्रकरण में स्थगन जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 17.12.2020 को मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जाता है।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता संलग्न मूल वाद मुकदमा संख्या 142/2020 बअनवान हरप्रीत सिह आदि बनाम दीपक गोयल रहे।

आदेश आज दिंनाक 19.12.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत बीजारणियां)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner